Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

PopularFrontofIndiaOfficial/ www.popularfrontindia.org

popularfrontmail@gmail.com 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

11 जून 2019

नई दिल्ली

पॉपुलर फ्रंट ने कठुआ मामले में कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ई. अबूबकर ने मीडिया को जारी एक बयान में कठुआ मामले में पठानकोट फास्ट ट्रेक कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ज्ञात हो कि कुछ समय पहले जम्मू व कश्मीर के कठुआ जिले में एक छोटी लड़की का बलात्कार किया गया और उसे 4 दिनों तक एक मंदिर में बेहोश रखने और प्रताड़ित करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी पाते हुए 3 को आजीवन कारावास और इस मुकद्दमे को ख़त्म करने के दोषी पाए गए 3 पुलिस अधिकारियों को 5 साल की सज़ा सुनाई है। यह उस बच्ची के परिजनों और उन सभी ईमानदार लोगों और समूहों तथा देश भर में इंसाफ की आवाज़ उठाने वालों की सामूहिक जीत है जिन्होंने इंसाफ की लड़ाई में पीड़ित परिवार का साथ दिया।

यह अपराध, बच्ची पर ढाए गए अत्याचार ही नहीं बल्कि इसलिए भी बहुत बड़ा था क्योंकि यह नस्लवाद का नतीजा था। कुछ लोगों ने आरोपियों के समर्थन में कानूनी कार्यवाही के खिलाफ ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन भी किये, जिसने पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को राज्य से बाहर लाना पड़ा क्योंकि कठुआ के वकीलों ने इस संवेदनशील मामले में क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को चार्जशीट फाइल करने से रोकने की कोशिश की। इस जीत से सभी इंसाफ पसंद लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन हमें फिर भी जागरूक रहने की ज़रूरत है क्योंकि इंसाफ को रोकने की कोशिश अभी भी हो सकती है और हमें इंसाफ को बरक़रार रखने के लिए और ज़्यादा सख़्त लड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी।

डॉ० मुहम्मद शमून

डायरेक्टर, जनसंपर्क

मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

नई दिल्ली